

प्रेस नोट थाना गोला जनपद गोरखपुर दिनांक 23.03.2025

कूटरचित दस्तावेजों द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में 04 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोला वेदप्रकाश शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 548/2023 धारा 406,419,467,468,471 भादवि0 से संबंधित अभियुक्ता .1आशिया उर्फ आशा .2राजकुमारी देवी .3साधना देवी .4 मोती देवी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तागण द्वारा बैंक से लोन लेकर अपने पति को मृतक बताकर कूटरचित मृत प्रमाण पत्र बनवाकर लोन की किस्तों को जमा नहीं किया गया तथा पूर्व में जमा की गयी किस्तों को अवैध रूप से धोखाधड़ी कर डेथ पे एमाउण्ट के रूप में बैंक से ले लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तियों का नाम व पता -

1. आशिया उर्फ आशा पत्नी इस्लाम स्वीपर निवासी वार्ड न0 08 बड़ी मस्जिद थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. राजकुमारी देवी पत्नी नीरज जायसवाल निवासी वार्ड न0 21 मोहल्ला मछली हट्टा गोला बाजार थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. साधना देवी पत्नी विनय कुमार मौर्य निवासी सुअरज थाना गोला जनपद गोरखपुर
4. मोती देवी पत्नी गौरीशंकर प्रजापति निवासी ग्राम देईडीहा थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 548/2023 धारा 406,419,467,468,471 भादवि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक वेदप्रकाश शर्मा थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. उ0 नि0 देवेन्द्र सिंह यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर
3. कां0 अजीत यादव थाना गोला जनपद गोरखपुर